उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या 895 / सत्रह–म–2021–6–9(32) / 2017

लखनऊः दिनांक 17 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल'' उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग अराजपत्रित सेवा (लघु दण्ड अधिरोपण) नियमावली, 1973 का विखण्डन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

'' उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग अराजपत्रित सेवा (लघु दण्ड अधिरोपण) (विखण्डन) नियमावली, 2021''

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग अराजपत्रित सेवा (लघु दण्ड अधिरोपण) (विखण्डन) नियमावली, 2021 कही जायेगी 2–यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में– (क) 'संविधान' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है; (ख) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; (ग) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।
विखण्डन और व्यावृत्ति	इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा बनायी गयी ''उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग अराजपत्रित सेवा (लघु दण्ड अधिरोपण) नियमावली, 1973'' एतदद्वारा विखण्डित की जाती है।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या-895/सत्रह-म/2021-6-9(32)/2017

लखनऊ, दिनांक 17 अगस्त, 2021

<u>संख्या- 895(1)/ सत्रह-म-2021 तद्दिनांक</u>

<u>प्रतिलिपि-</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/कार्मिक/औद्यौगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5- गोपन अनुभाग-1/ विधायी अनुभाग-1/ वित्त(व्यय-नियंत्रण)/ औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

6- निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।

9- समस्त उप निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।

10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।

11- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

12- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की प्रश्नगत अधिसूचना को दिनांक 17 अगस्[redacted] 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित कराते हुए इसके हिन्दी/अंग्रेजी आलेख की 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर मत्स्य उत्पादन अनुभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)

उप सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 895 / satrah-ma-/2021-6-9(32)/2017 dated 17 August, 2021.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Matsya Utpadan Anubhag

No- 895 /satrah-ma-/2021-6-9(32)/2017

Dated Lucknow, 17 August, 2021

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of india. the Governor is pleased to make the following rules with a view to rescinding the Uttar Pradesh fisheries Department Non-Gazetted Services (Imposition of Minor Punishments) Rules, 1973.

THE UTTAR PRADESH FISHERIES DEPARTMENT NON-GAZETTED SERVICES [(IMPOSITION OF MINOR PUNISHMENTS) (RESCISSION)] RULES, 2021

Short title and commencement 1-(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Fisheries Department Non-Gazetted Services[(Imposition of Minor Punishments (Rescission)] Rules,2021.

(2) They shall come into force atonce.

Definitions 2- In these unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) Constitution means the Constitution of India;

(b) Government means the Government of Uttar Pradesh;

(c) Governor means the Governor of Uttar Pradesh;

Rescission and saving The Uttar Pradesh Fisheries Department Non-Gazetted Services (Imposition of Minor Punishments) Rules, 1973,made by the Governor in exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution on prior to commencement of therse rules are hereby rescinded.

By order,

(Sudhir Garg)
Principal Secretary